

संख्या-39/2022/77-3099/306/2022/001-1258

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,

उप सचिव,

उ० प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

यूपीडा, पर्यटन भवन,

गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक अक्टूबर, 2022

विषय:- उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, कानपुर नोड में फायर स्टेशन एवं पुलिस चौकी निर्मित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 3615/यूपीडा/डिफे० कॉरि०/961/22, दिनांक 04.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, कानपुर नोड में फायर स्टेशन एवं पुलिस चौकी के निर्माण हेतु धनराशि रु० 1345.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना हेतु कानपुर नोड में फायर स्टेशन तथा पुलिस चौकी के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक “5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय- 03- राज्य राजमार्ग- 337- सड़क निर्माण कार्य- 08- बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर- 24- बृहत् निर्माण कार्य रु० 40000.00 लाख का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष डिफेन्स कॉरिडोर परियोजनान्तर्गत जनपद कानपुर नगर नोड में फायर स्टेशन के निर्माण हेतु रु० 952.88 लाख तथा पुलिस चौकी के निर्माण हेतु रु० 392.87 लाख अर्थात् कुल लागत रु० 1345.75 लाख (रुपये तेरह करोड़ पैंतालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री

राज्यपाल सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्त / प्रतिबन्ध

- (1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते में रखा जायेगा।
- (2) उक्त धनराशि का उपयोग केवल तात्कालिक आवश्यकताजुसार ही किया जायेगा।
- (3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोजिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

- (4) प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधार पर प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन सुसंगत वित्तीय नियमों/वित्तियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए।

- (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदितोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं 0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 में द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- (7) योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के मागों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया। मागों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण ऋतु

- (8) योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की दियवृत्ति(ड्यूलीकेसी) को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यूपीडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित है।

- (9) 30 प्र 0 इंजिस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 के संबंधित प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 13,45,75,000 (रुपये तेरह करोड़ पैंतालीस लाख पचाहतर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अंतर्दान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370800 बजटलखण्ड एक्सग्रेस - वे के साथ डिपेंड

1/226186/2022

कॉरीडोर परियोजना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by मनोज कुमार
मौर्य

Date: 12-10-2022 13:59:20

Reason: Approved

भवदीय,

(मनोज कुमार मौर्य),

उप सचिव,

उ० प्र० शासन।

संख्या- 39 /2022/77-3099/306/2022 /001-1258, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ० प्र० शासन।
6. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. नोडल बजट एलाटमेंट सिस्टम।
9. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य),

उप सचिव,

